Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

मानसून के दौरान डीजल, पेट्रोल व गैस आरक्षित रखने के निर्देश

झुंझुनू, 8 जूनः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके मानसून के दौरान जिले में संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ को ध्यान में रखते हुए प्रभावित लोगों को इस दौरान पेट्रोल, डीजल, केरोसीन एवं खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित को निर्देश किया है। यह आदेश आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशानुसार आलोच्य अवधि तक सभी अनुज्ञापत्रधारी पेट्रोल पम्प मालिक अपने यहां 500 लीटर पेट्रोल, एक हजार लीटर डीजल व गैस अनुज्ञापत्रधारी 15 रिफिल का स्टॉक प्रत्येक समय आरक्षित रखेंगे तथा इसे राजकीय उपयोग एवं आपात आवश्यकता वाले क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के निर्देशों से विक्रय करेंगे। जिले के प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानदारों को भी अपने यहां 200 लीटर केरोसीन एवं सभी थोक विक्रेताओं (खाद्यान्न) को 25-25 क्विन्टल गेंहू का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिसे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार के निर्देशानुसार बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, प्रवर्तन अधिकारियों एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। आदेशों का उलघंन करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाही की जाएगी।

कार्मिकों की सूचना निर्धारित फारमेट में भिजवाने के निर्देश

झुंझुनू, 8 जूनः राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. के सम्पूर्ण कार्य को कम्प्यूटर पर ऑन लाइन करने की कार्यवाही को लेकर जिले के सभी विभागों व स्कूलों के कर्मचारियों का विवरण चाहने के लिए जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित फारमेट में सूचना चाही गई है, लेकिन अभी भी बहुत से विभागों व स्कूलों से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

बीमा विभाग के उप निदेशक योगमित्र दिनकर ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों व आहरण वितरण अधिकारियों को एक बार पुनः निर्देशित किया है कि वे चाही गई सूचना निर्धारित फारमेट में अगले सात दिन में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. के सम्पूर्ण कार्य को कम्प्यूटर पर ऑन लाइन किया जा सके। उन्होंने बताया कि सूचना के अभाव में अभियान प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं आहरण वितरण अधिकारियों को आगाह किया है कि किसी विभाग या स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों के चाहे गए फारमेट में उनकी सूचना कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग जयपुर के निर्देशानुसार ऐसे कार्यालयों के वेतन विपत्र आक्षेपित किए जाएंगे। असुविधा से बचने के लिए कर्मचारियों की सूचना अविलम्ब भिजवाई जाए।

कृषि कनेक्शन के लिए 3 स्टार रेटिंग वाला पम्प सैट ही लगाना होगा

झुंझुनू, 8 जूनः अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियन्ता (झु.वृ.) एम.एस. खमेसरा ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिसम्बर 2009 से कृषि कनेक्शन के लिए जारी मांग पत्रों पर किसानों को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसियेन्सी द्वारा प्रमाणित कम से कम 3 स्टार रेटिंग वाला पम्प सेट लगाने तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम के स्थापित करने पर ही कृषि कनेक्शन जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कृषि कनेक्शन जारी होने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने बूंद-बूंद सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कर लिया है तथा एनर्जी एफीसियेन्सी पम्प सेट की जांच निगम के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बूंद-बूंद

सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम से अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र वाले किसानों को लागत के 70 प्रतिशत तक अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस आशय के निर्देश जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी दिए हैं।

सर्वेयर के तौर पर नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण 14 जून को

झुंझुनू, 8 जून: साक्षर भारत योजना 2012 के लिए झुंझुनू के उपखण्ड अधिकारी द्वारा सर्वेयर के तौर पर नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण अब 14 जून को आयोजित किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार कोठारी ने बताया कि साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय के संशोधित कार्यक्रमानुसार अलसीसर एवं झुंझुनू पंचायत समिति क्षेत्र के लिए नियुक्त सर्वेयर शिक्षकों का प्रशिक्षण 14 जून को प्रातः 10 बजे अलसीसर एवं झुंझुनू पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। सर्वेयर के तौर पर नियुक्त शिक्षक निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति देवें। उन्होंने बताया कि पूर्व में यह प्रशिक्षण 10 व 11 जून को दिया जाना था जिसके स्थान पर अब 14 जून को उक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।

------

11 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के लिए 1.10 करोड़ रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 8 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके जिले की झुंझुनू व अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र के 11 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए एक करोड़ 10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। जिला परिषद के सी.ओ. सी.एम. काला ने बताया कि झुंझुनू पंचायत समिति के माखर, कुलोद कलां, पुरोहितों की ढाणी, देरवाला, सिरियासर, नूआं, भोजासर, चूड़ी चतरपुरा, कुहाडू और भारू तथा अलसीसर पंचायत समिति के कोलिण्डा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण के लिए 10-10 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है।

विधायक कोटे से चार कार्यों के लिए 9.25 लाख रूपये मंजूर

झुंझुनू, 8 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत झुंझुनू विधायक एवं सहकारिता राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के कोटे से सुलताना गांव में सामुदायिक भवन की चार दीवारी के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपये, महरमपुर में गोवर्द्धन जांगिड़ के घर से हरिजनों के घर तक सीमेण्ट सड़क निर्माण के लिए ढाई लाख रूपये, फतेहसरा में हरिजन मौहल्ले के सार्वजनिक कुए में बोरिंग, पम्प सैट एवं विद्युत कनेक्शन के लिए 3 लाख 75 हजार रूपये और रघुनाथपुरा गांव में नाईयों के मौहल्ले में पेयजल टंकी बनाने के लिए डेढ़ लाख रूपये मंजूर किए गए हैं।